प्रेस विज्ञप्ति

सराहनीय कार्य, जनपद भदोही

दिनांक-10.09.2026

◆"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆आरोपी द्वारा पीड़िता की गरिमा भंग करने के दोषी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष सश्रम कारावास व ₹1,75000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा

थाना कोईरौना क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त विवेक तिवारी उर्फ सोनू पर एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने, उसका वीडियो बनाकर धमकी देने और उसे वायरल करने का आरोप है। इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (धारा 3/4, 13/14), आईपीसी की धारा 376(3) और आईटी एक्ट (धारा 67A, 67B) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की गई है। वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए के आरोपी के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित व महिला सम्बन्धित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व डीजीसी-श्री धीरज शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री दुर्गेश मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), ज्ञानपुर भदोही द्वारा सिद्धदोष विवेक तिवारी उर्फ सोनू पुत्र सूर्यनारायण तिवारी निवासी सूर्यभानपुर, थाना कोईरौना, जनपद भदोही को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2),धारा 13/14(1) एवं सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67-ख के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,75,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। इसके अलावा, धारा 67-ख और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(3) के तहत दोषसिद्धि कायम रखी गई है। उपर्युक्त जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि में से 80% राशि पीड़िता के पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु दिया जाएगा।